

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

व्हाल वनाम कपा (गैर)

किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र 111-128 नं० 46 सन् 220

नांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
5-20	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जाये । पत्रावली दिनांक 16.6.20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
46-620	<p>उभय पक्ष उपस्थित थे। प्रार्थनापत्र राजकीय कार्य से वाद प्रस्तुत है। अतः पत्रावली दिनांक 7-7-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
7-7-20	<p>उभय पक्ष उपस्थित थे। प्रार्थनापत्र राजकीय कार्य से वाद प्रस्तुत है। अतः पत्रावली दिनांक 28-7-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
28-7	<p>उभय पक्ष उपस्थित थे। प्रार्थनापत्र राजकीय कार्य से वाद प्रस्तुत है। अतः पत्रावली दिनांक 7-8-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
8-20	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिले शा.पठ किये गये, तहसीलदार मांडल से माफा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.पठ की गई, पूर्व में सीमा रान मदी कराया, अप्रार्थीगण की कितनी मर्बा धावाजे फिलार्थी जाने उपरान्त भी उपस्थित मदी इनके किन्तु एडवोकेट कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर मिठिय मुपक से लिखा जाकर शा.पठ किया गया। पत्रावली फेरल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	

र व ता
हाम जो
की ता
जारी

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 46/20 प्रा.पग

1- श्री बाबू शं. श्री हेमा कीर निवासी- मेजा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री रुपा शं. श्री भागू कीर निवासी-मेजा तहसील-माण्डल [पगौरा]
(प्रा.पग की फीरो कंपनीसंबन्ध है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....मेजा.....पटवार हल्का.....मेजा.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं.....1495.....कुल किता.....01.....रकबा.....02.....बीघा.....04.....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुलदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08-05-20.....को पंजीबद्ध किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की रा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को माने हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....मेजा.....पटवार हल्का.....मेजा.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....1495.....कुल किता.....01.....रकबा.....02.....बीघा.....04.....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....मेजा.....400/-रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा